

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक ।

सेवा में,

उपनिदेशक, कल्याण, भागलपुर
जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ।

पटना, दिनांक २४.०३.१८

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिवद्व व्यय अन्तर्गत सृजित स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों यथा उपनिदेशक, कल्याण, जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक, सांख्यिकी सहायक, टंकक, ग्रेन गोला चौकीदार, लिपिक सह लेखापाल, चालक, चपरासी तथा अनुमंडल कल्याण कार्यालय के स्थायी अराजपत्रित पदों के संधारणार्थ वेतनादि कुल ₹ 19,85,248/- (उन्नीस लाख पचासी हजार दो सौ अड़तालीस रु०) मात्र का पुनावंटन एवं वाहन का ईधन एवं रख रखाव में 70,000/- (सत्तर हजार रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत सृजित स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों यथा उपनिदेशक, कल्याण एवम् उनके कार्यालय में सृजित स्थायी अराजपत्रित पदों, जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक, सांख्यिकी सहायक, टंकक, ग्रेन गोला चौकीदार, लिपिक सह लेखापाल, चालक, चपरासी तथा अनुमंडल कल्याण कार्यालय के स्थायी अराजपत्रित पदों के वेतन-भत्ता एवं अन्य मदों में पूर्व में विभागीय आवंटनादेश संख्या के माध्यम से आवंटन दिया गया था।

2- उपरोक्त आवंटित राशि से जिला कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 350 दिनांक 26.03.2018 के द्वारा वेतनादि मद में कुल ₹ 19,85,248/- (उन्नीस लाख पचासी हजार दो सौ अड़तालीस रु०) मात्र का प्राप्त हुआ है, जिसे रवीकार किया जाता है। उक्त कुल ₹ 19,85,248/- (उन्नीस लाख पचासी हजार दो सौ अड़तालीस रु०) मात्र से वेतनादि मद में जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से मांग के आलोक में कुल ₹ 19,85,248/- (उन्नीस लाख पचासी हजार दो सौ अड़तालीस रु०) मात्र पुनावंटन एवं उपनिदेशक, भागलपुर के द्वारा वाहन का ईधन एवं रख-रखाव में मांग के आलोक में ₹ 70,000/- (सत्तर हजार रु०) मात्र का मात्र निम्नलिखित कार्यालयों के लिए निम्न प्रकार पुनावंटन एवं अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है।

(राशि रु० में)

क्रमांक	कार्यालय का नाम	वेतनादि मद (पुनावंटन) राशि	वाहन का ईधन एवं रख रखाव	कुल अतिरिक्त ¹ आवंटित राशि
1	जिला कल्याण कार्यालय, मुजफ्फरपुर	19,85,248/-	0	19,85,248/-
2	उप निदेशक, कल्याण कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल	0	70,000/-	70,000/-
	कुल :-	19,85,248/-	70,000/-	20,55,248/-

कुल (वीस लाख पचास हजार दो सौ अड़तालीस रु०) मात्र

3- कुल भारित व्यय राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्यय शीर्ष “2225-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनु० जातियों का कल्याण-001 -निदेशन और प्रशासन-0001-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों- 0001.0101-वेतन, 0001.0103-जीवन यापन भत्ता, 0001.0104 मकान किराया भत्ता, 0001.0105-परिवहन भत्ता, 0001.0106- चिकित्सा भत्ता, 0001.0107- अन्य भत्ता ,0001.1302-वाहन का ईधन एवं रख रखाव मांग सं0-44 -विपत्र कोड सं0 44-2225010010001 के उचित इकाईयों के अन्तर्गत विकलनीय है।

✓ /

W

4— प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय उपनिदेशक तथा जिला स्तर पर संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे ।

5— वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17-4-98 एवं पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है । अतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त परिपत्र एवं समय समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र /परिपत्रों के आलोक में आवंटित राशि का निकासी एवं व्यय करेंगे ।

6— राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी का होगा । संबंधित पदाधिकारी प्रत्येक माह अपने अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से, जिन्हे उनके द्वारा उप आवंटन दिया गया हो, व्यय विवरणी टी0भी0 नम्बर इत्यादि प्राप्त कर मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

7— इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है ।

8— कृपया पंत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र छुम्रा)
निदेशक ।

ज्ञापांक— स08डी0(बजट—आवंटन—2225)—12-15/2017 175 पटना, दिनांक 28.03.18

प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(3) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, /संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित उप विकास आयुक्त, /संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक /सचिव के प्रधान आप्त सचिव अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, /सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जाति कल्याण विभाग/ बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(अमृत)
निदेशक । 31/3/18

ज्ञापांक— स08डी0(बजट—आवंटन—2225)—12-15/2017 175 पटना, दिनांक 28.03.18

प्रतिलिपि : सभी संबंधित जिला कोषांगर पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(अमृत)
निदेशक । 31/3/18